न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या - 47/2019
दायरा दिनांक - 14/10/2019
निर्णय दिनांक - 18/2/2

उनवान

1. भरतसिंह उर्फ भरथाराम पुत्र सगरिया जाति जाट निवासी फतेहपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

--असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधि0

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. प्रार्थी - श्री धर्मपाल चौधरी एड0
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 55 रकबा 0.04 है0,70 रकबा 0.08 है0,563 रकबा 0.35 है0,570 रकबा 0.48 है0,791 रकबा 0.24 है0,80 रकबा 1.23 है0,79 रकबा 0.02 है0,91 रकबा 0.29 है0,105 रकबा 0.25 है0,136 रकबा 0.09 है0,138 रकबा 0.12 है0,161 रकबा 0.14 है0,166 रकबा 0.19 है0,265 रकबा 0.01 है0, 144 रकबा 0.09 है0 वाके मौजा फतेहपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी बुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी बुजुर्गानी आराजी का विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय गांव में बोलते नाम भरता पुत्र सगरिया के नाम से खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड तैयार कर दिया ,जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज भामाशाह कार्ड,आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड में भरतसिंह पुत्र सगरिया सही नाम दर्ज है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थी के नाम की खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय विवादित आराजी में प्रार्थी का सही नाम भरतसिंह पुत्र सगरिया के बजाय भरता पुत्र सगरिया गलत दर्ज कर दिया गया तथा जिसकी पुनावृर्ति आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में होता चला आ रहा है जिसके कारण प्रार्थी के अपने नाम की खातेदारी की आराजी [illegible] हनन हो रहा है जिसको [illegible] हुआ। हाल जमाबंदी के खाता दुरुस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना [illegible] सगरिया की जगह संख्या 129,130,131134,13[illegible] दर्ज खाते[illegible] पहचान पत्र व राशनकार्ड के मुताबिक अन्य दस्तावेज, भामाशाह [illegible] दर्ज करना चाहिये [illegible] नही [illegible] अनुसार भरतसिंह उर्फ भरथाराम पुत्र सगरिया [illegible] आदेश राजस्व रिकॉर्ड [illegible] धन किया गया जिसको शुद्ध किया जाने एवं मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड किये जाने आदेश फरमाये जावे।

raj/court decision/2019/136/LR ACT/ भरतसिंह बनाम तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम शुद्ध करते समय राजकीय हित को ध्यान में रखते हुये विधि संगत निर्णय पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। विवादित आराजी हाल आराजी खसरा न0 55 रकबा 0.04 है0,70 रकबा 0.08 है0, 563 रकबा 0.35 है0,570 रकबा 0.48 है0,791 रकबा 0.24 है0,80 रकबा 1.23 है0,79 रकबा 0.02 है0,91 रकबा 0.29 है0,105 रकबा 0.25 है0,136 रकबा 0.09 है0,138 रकबा 0.12 है0,161 रकबा 0.14 है0,166 रकबा 0.19 है0,265 रकबा 0.01 है0, 144 रकबा 0.09 है0 वाके मौजा फतेहपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 में प्रार्थी का नाम भरता पुत्र सगरिया दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड,भामाशाह कार्ड, एवं राशन कार्ड में भरतसिंह दर्ज है। भरता व भरतसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत मौठूका ने भी अपने प्रमाण–पत्र में की है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर. एक्ट स्वीकार कर हाल जमाबंदी के हाल आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 0.04 है0,70 रकबा 0.08 है0,563 रकबा 0.35 है0,570 रकबा 0.48 है0,791 रकबा 0.24 है0,80 रकबा 1.23 है0,79 रकबा 0.02 है0,91 रकबा 0.29 है0,105 रकबा 0.25 है0,136 रकबा 0.09 है0,138 रकबा 0.12 है0,161 रकबा 0.14 है0,166 रकबा 0.19 है0,265 रकबा 0.01 है0, 144 रकबा 0.09 है0 वाके मौजा फतेहपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 दर्ज खातेदार भरता पुत्र सगरिया **की जगह** भरतसिंह उर्फ भरथा पुत्र सगरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 18/2/20 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner